तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/7/23	पत्रावली पेश हो वकील वादी उप. / वकील प्रार्थी उप. बहस हेतु समय चाहा / वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 24/8/23 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)
24/8/23	पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान उप. / बहस हेतु समय चाहा / वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 21/9/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराँई
24/8/23	पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान उप. / बहस हेतु समय चाहा / वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 21/9/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराँई
21/9/23	पत्रावली पेश हो वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद संख्या 350/2020 (78/2020) में अन्तिम आदेश हो चुका है अतः प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 32 को चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है अतः प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 32 को खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:27:54 IST
Reason: SelfAttested